न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र कुमार सिह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 2 / 2021 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)
जी0सी0एम0एस0नं0– 2021 / 21 /

उनवान

राजाराम आत्मज मंशा जाति मीणा निवासी ग्राम मांदलियाहेडी तह0 कनवास

(प्रार्थी)

बनाम

1. चाहनिया बाई पुत्री अमरलाल
2. तेजराम आत्मज अमरलाल
3. दाखाबाई पुत्री अमरलाल
4. ब्रदीबाई पत्नि अमरलाल
5. बंशीलाल आत्मज अमरलाल
6. भवरलाल आत्मज अमरलाल
7. मेवालाल आत्मज अमरलाल जामि भील निवासीगण जालिमपुरा तह0 कनवास

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री धनश्याम नागर (प्रार्थी की ओर से)
2. श्री मोहम्मद रफीक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू0राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक : 5/12/25

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम मांदल्याहेडी तह0 कनवास का काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा काश्तकारी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। यह कि ग्राम जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीधा आराजी स्थित है,उक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 375 रकबा 2.11 है0 खसरा नम्बर 376 रकबा 0.97 है0 कायम किये गये। ग्राम जालिमपुरा की खसरा 93 की आराजी में से 16 बीधा का आंवटन प्रार्थी को दिनांक 29.05.1989 को किया गया बाद आंवटन

अति. जिला कलक्टर
कोटा

प्रार्थी का नाम गैरखातेदारी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। बाद में सेटलमेन्ट होने पर सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 375 रकबा 2.11 है0 आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज की गई, आंवटन आराजी पर प्रार्थी बाद आंवटन से आज तक आंवटन शर्तो की नियमित रूप से पालना कर रहा है।

यह कि खसरा नम्बर 93 की 6 बीधा भूमि का आंवटन बिना किसी आधार एवं आवश्यकता के अप्रार्थीगण के पिता एवं पति अमरलाल आत्मज बिरधा को आंवटन कर दी और गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर जो त्रुटिपूर्ण है। अप्रार्थीगण के पिता का उक्त आराजी से कोई संबध नही है न ही उनके द्वारा भूमि आंवटन करने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ओर न ही उक्त भूमि पर इनका कभी कब्जा रहा,किन्तु भी राजस्व अधिकारीयान् द्वारा दिनांक 29.05.1989 को आराजी का आंवटन कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर तथा अप्रार्थीगण द्वारा आंवटन की बात कहने पर अप्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त की जिस पर जानकारी हुई कि खसरा नम्बर 376 की आराजी अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज हो रही है। तत्पश्चात् आंवटन की जानकारी हुई किन्तु आंवटन की पत्रावली उपलब्ध नही होने से नकल का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस प्रकार दिनांक 15.09.2020 से जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के पिता एवं पति अमरलाल आत्मज बिरधा के आंवटन दिनांक 29.05.89 को निरस्त कर प्रार्थी के नाम आंवटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक मोहम्मद रफीक खान द्वारा वकालतनामा पेश किया ।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को बहस समझा जावें ओर इसी आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आंवटन निरस्त किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम जालिमपुरा तहसील कनवास की गत आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीधा स्थित होना अंकित किया है तथा उक्त आराजीयात् के सेटलमेन्ट सम्वत् 2058 से 2077 में खसरा नम्बर 93 के नये खसरा नम्बर 375 रकबा 2.11 है0 खसरा नम्बर 376 रकबा 0.96 तथा खसरा नम्बर 377 रकबा 0.89 है0 बनाये गये थे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में खसरा नम्बर 375 व खसरा 376 का ही उल्लेख किया गया है जो गलत है क्योकी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मिलान क्षैत्रफल की प्रति संम्वत 2058 से 2077 की प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नम्बर 377 का भी उल्लेख है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उक्त आराजीयात् सें संबधित जो दस्जावेज प्रस्तुत किये है वह न्यायालय में क्लीनहेड से नही आया तथा न्यायालय को गुमराह करते हुए जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया वो खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा 93 की कुल रकबा 24 बीधा मे से 16 बीधा का आंवटन दिनांक 29.05.1989 को होना बताया गया है जो गलत है।

अप्रार्थीगणो को खसरा नम्बर 93 की कुल रकबा 24 बीधा के खसरा नम्बर 376 रकबा 0.97 है0 अप्रार्थीगण के पिता अमरलाल के गैरखातेदारी में हाल जमाबंदी में दर्ज है। अप्रार्थीगण को आंवटन अधिकारी द्वारा आंवटन विधि अनुसार आंवटित की गई है ओर

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

आंवटन शुद्वा भूमि हाल आराजी पर काबिज थार और प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उनका नामान्तकरण अप्राथीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 364 दिनांक 15.06.2016 तस्दीके किया गया व इसी के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो राजस्व भू0अभिलेख की रिपोर्ट है न ही सरकार को पार्टी बनाया गया है जो कि आवश्यक् पक्षकार है। इसी के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2023 (1) 436 एवं आर.आर.टी. 2023 (1) 559, न्यायिक दृष्टान्त पेश कियें।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को आंवटित भूमि दिनांक 29.05.1989 को निरस्त किये जाने बाबत् दिनांक 23.07.2021 को पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के आंवटन शर्तो की पालना न किये जाने से आवंटन आदेश निरस्त किया जाना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है किन्तु प्रार्थना पत्र में यह कभी भी अंकित नही किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किन आंवटन शर्तो की पालना नही की गई है केवल कब्जे का उल्लेख करते हुए आंवटन आदेश निरस्त किये जाने का कथन किया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत्2074–2077 माल ग्राम जालिमपुरा भू0अ0 आंवा तहसील कनवास में अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 376 की 0.97 है0 आराजी में बतोर गैरखातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त न होना अंकित किया है किन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आंवटन दिनांक 29.05.1989 से 23.07.2021 को लगभग 36 वर्ष बाद पेश किया है पत्रावली में विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई आधारभूत साक्ष्य भी उपलब्ध नही है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कनवास को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक् था ताकि विवादित आराजीयात् के संबध में मौका/रिकार्ड की रिपोर्ट आवंटन पत्रावली इत्याद्वि तलब कर पत्रावली का अवलोकन किये जाने के पश्चात निर्णय पारित किया जा सके। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त् आर.आर.टी. 2023 (1) 436 पत्रावली में हबहू चस्पा होता है कि के आंवटन कि किसी शर्त का उल्लंधन नही केवल कब्जा के आधार पर विधिपूर्ण आंवटन रद् नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से इसी स्तर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा